न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 65/2018

प्रार्थीगण

1. हेमदान पुत्र धन्नदान
2. पृथ्वीदान पुत्र धन्नदान
3. कोरकंवर पत्नी धन्नदान
4. आन्दरदार (इन्द्रदान) पुत्र रामदान
   जाति चारण निवासी डेडावास चारणान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   (प्रतिवादी संख्या 1 से 4)

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चैनीदेवी पत्नी प्रतापाराम
   जाति विश्नोई निवासी डेडावास चारणान हाल जूनाखेड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
   (वादीनी)
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी (प्रतिवादी संख्या 5)
3. तहसीलदार गुड़ामालानी (प्रतिवादी संख्या 6)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता बाबत प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 12.10.2015 को एक पक्षीय डिकी को अपास्त करने हेतु (चेनीदेवी बनाम हेमदान वगैरा, राजस्व वाद संख्या 63/2014 तारीख निर्णय एवं डिकी 12.10.2015)

उपस्थित :

1. श्री राजेन्द्रसिंह चारण एवं श्री गंगाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 01

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 07/09/21

प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह आवेदन पत्र राजस्व वाद संख्या 63/2014 अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 12.10.2015 को की गई एक पक्षीय डिकी एवं निर्णय के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त मुकदमा अप्रार्थीगण/वादीनी ने अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। दिनांक 18.03.2014 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादी [illegible] विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। अगली पेशी दिनांक 04.04.[illegible] सम्मन तामील या अदम तामील लौटकर नहीं [illegible] 04.04.2014 से लेकर दिनांक 19.07.2015 तक प्रार्थीगण/[illegible] के विरूद्ध कोई सम्[illegible] जारी नहीं किये। आदेशिका में सम्मन लौ[illegible]र आने का इंतजार न[illegible] किया गया। पेशी दिनांक 03.07.2015 को राजस्व केम्प डेडावास का जारी सम्मन प्रार्थी संख्या 1 से 2 को मिले तब प्रार्थी संख्या 1 से राजस्व केम्प में उपस्थित हुआ। उक्त राजस्व केम्प में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थी संख्या 3 व 4 उपस्थित नहीं हुए तथा अप्रार्थीनी/वादीनी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:22:32 IST
Reason: SelfAttested

(सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी)